भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या.690

(जिसका उत्तर मंगलवार, 08 फरवरी, 2022/19 माघ, 1943 (शक) को दिया जाना है।)

महंगाई और ईधन की कीमतों में बढ़ोतरी

690. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

श्री शमशेर सिंह दुलोः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यह देखते हुए कि दिसम्बर, 2021 के महीने के लिए थोक और खुदरा महंगाई दर क्रमशः 13. 56 प्रतिशत और 5.59 प्रतिशत रही है, क्या सरकार ने भारत में महंगाई और जीवनयापन की लागत में वृद्धि का समाधान करने के लिए नीतियों को लागू किया है अथवा लागू करने की मंशा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की विगत दो वर्षों में महंगाई दर में भारी वृद्धि और देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दीर्घकालिक प्रभाव के कारण आर्थिक मंदी को देखते हुए, ईधन और तेल की कीमतों को कम करने की मंशा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

खाद्यान्नः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिमय, 2013 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल के लिए 3 रु. प्रति किलोग्राम की दर से और गेहूं के लिए 2 रु. प्रति किलोग्राम की दर से 67 प्रतिशत सबसे गरीब आबादी को (2011 की जनगणना के अनुसार) जीवन यापन की लागत को नियंत्रण में रखने के लिए खाद्यान पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

दलहन: (i) बफर स्टॉक के उपयोग के माध्यम से मूल्य वृद्धि के दौरान प्रभावी हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने 2020-21 और 2021-22 में किसानों/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से दलहन की खरीद की है। वर्ष 2021-22 के लिए 23 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) के बफर स्टॉक का लक्ष्य है। (ii) दालों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए, तूर और उड़द को दिनांक 31 मार्च 2022 तक 'मुक्त' आयात श्रेणी में

रखा गया है। (iii) मसूर पर मूल आयात शुल्क और कृषि अवसंरचना तथा विकास उपकर को क्रमशः शून्य और 10% तक नीचे लाया गया है। (iv) म्यांमार के साथ उड़द के 2.5 एलएमटी और तूर के लिए 1 एलएमटी, और मलावी के साथ 0.50 लाख मीट्रिक टन तूर के वार्षिक आयात के लिए 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मोजाम्बिक के साथ 2 लाख मीट्रिक टन तूर के आयात को और 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

खाद्य तेल: (i) खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए, खाद्य तेल पर शुल्क 14 अक्टूबर 2021 से कम कर दिया गया है। परिष्कृत पाम तेल/ पामोलिन, परिष्कृत सोयाबीन तेल और परिष्कृत सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क को 14 अक्टूबर 2021 से 32.5 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत कर दिया है (ii) नेशलन कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. (एनएलडीईएक्स) पर सरसों के तेल में वायदा कारोबार को निलंबित कर दिया गया है और स्टॉक सीमा लागू कर दी गई है। (iii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा लगा दी है। विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंस की आवश्यकता, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाने संबंधी (संशोधन) आदेश, 2021, 8 अक्टूबर, 2021 से जारी किया गया है। यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि खाद्य तेल और तिलहन स्टॉक नियमित रूप से घोषित किया जाता है और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर अद्यतन किया जाता है। (iv) सरकार आयात निर्भरता को कम करने के लिए अन्य खाद्य तेलों, विशेष रूप से राइस ब्रान ऑयल के उत्पादन में सुधार के लिए कदम उठा रही है। (v) सोया मील की घरेलू कीमतों को कम करने के लिए, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तु की सूची अधिनियम, 1955 में संशोधन करके 30 जून, 2022 तक "सोया मील" को एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए आदेश अधिसूचित किया है। सोया मील पर स्टॉक सीमा 23 दिसम्बर, 2021 से 30 जून, 2022 की अवधि के लिए लगाई गई है।

कच्चा तेल/पेट्रोलियम उत्पाद: (i) पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में दिनांक 04.11.2021 से क्रमशः 5 रूपये और 10 रुपये की कमी की है। इसके जवाब में कई राज्य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर मूल्यवर्धित कर भी कम किया है। देशभर में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में गिरावट आई है।

*****